



बिहार सरकार

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद
(जैव विविधता अधिनियम-2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय)

Bihar State Biodiversity Board

(An Autonomous Statutory Body of the Government constituted under Biological Diversity Act, 2002)

चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्री नगर, पटना-800023

☎ 0612-2952412

✉ bdbihar@bihar.gov.in

🌐 <https://bsbb.bihar.gov.in>



संख्या- बी०-118

तिथि:-28.02.2025

ज्ञाप

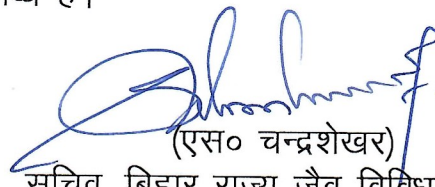
जैव विविधता विरासत वृक्ष कार्यक्रम।

बिहार राज्य में वृक्षाच्छादन के विस्तार का वृहत् कार्यक्रम सक्रिय रूप से संचालित है। साथ ही, उपलब्ध वृक्षों के संरक्षण हेतु सशक्त नीतिगत एवं वैधानिक प्रावधान प्रभावी हैं।

जैव विविधता संरक्षण के सम्यक हित में विभिन्न स्वरूप की विशेषता से युक्त वृक्षों की भी खास उपयोगिता होती है, तथा ऐसे विशिष्ट वृक्षों को यथासंभव विशेष संरक्षण दिया जाना वांछित है।

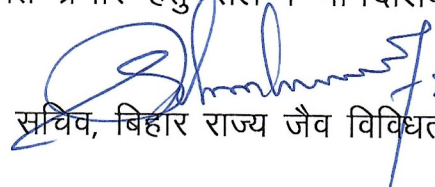
2. राज्य में वृक्षाच्छादन के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु संचालित अभियान में सहभागिता तथा इनमें जैव विविधता के समर्थन के लिए प्राकृतिक वनों के बाहर अवस्थित उल्लेखनीय विशेषता (वृक्षों की आयु, आकार, अन्य विलक्षण गुण या विलुप्त हो रही प्रजाति) से युक्त वृक्षों की पहचान कर उन्हें जैव विविधता विरासत वृक्ष के रूप में घोषित करने के लिये एक विशेष कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जिसका शीर्षक **जैव विविधता विरासत वृक्ष कार्यक्रम** है, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के तत्वाधान में वन प्रमण्डल पदाधिकारियों के सहयोग से संचालित होगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की सम्मति से इस कार्यक्रम की मार्गदर्शिका एतद्वारा संलग्न जारी की जा रही है।

जैव विविधता विरासत वृक्ष कार्यक्रम में सभी सरकारी विभाग, संगठन, संस्थान, लोक उपक्रम, ग्राम पंचायत, नगर निकाय एवं गैर सरकारी संगठन, निजी संस्थान, प्राइवेट सेक्टर के उपक्रम इत्यादि तथा निजी भू-धारी, जिनके परिसर में मार्गदर्शिका में इंगित विशेषता युक्त वृक्ष उपलब्ध हों, सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं। मार्गदर्शिका में कार्यक्रम में सम्मिलित होने की प्रक्रिया भी वर्णित है। उक्त मार्गदर्शिका बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के वेबसाइट-<https://bsbb.bihar.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।


(एस० चन्द्रशेखर)
सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद

ज्ञापांक: बी०-118 दिनांक 28/02/2025

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी को प्रेषित। अनुरोध है कि **जैव विविधता विरासत वृक्ष कार्यक्रम** के समुचित प्रचार हेतु संलग्न मार्गदर्शिका को जिला स्तरीय कार्यालयों में परिचालित करायी जाय।


सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद।



बिहार सरकार

बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद
(जैव विविधता अधिनियम-2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय)

Bihar State Biodiversity Board

(An Autonomous Statutory Body of the Government constituted under Biological Diversity Act. 2002)

चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्री नगर, पटना-800023

☎ 0612-2952412

✉ bdbihar@bihar.gov.in

🌐 <https://bsbb.bihar.gov.in>



बिहार राज्य में "जैव विविधता विरासत वृक्षों की घोषणा कार्यक्रम" का दिशा-निर्देश

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-4/जैव विविधता-01/
20244025/प०व० द्वारा सहमति प्रदत्त)

प्रत्येक वृक्ष स्वयमेव प्राकृतिक निधि है। वृक्षों की विशिष्टता एवं इनकी लाभकारी स्वभाव की विविधता इन्हें बहुगुणी एवं बहु-उपयोगी बनाती हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पादों (काष्ठ, फल-फूल, पत्ते, रेशे, गोंद एवं रेसिन इत्यादि) के साथ-साथ प्राकृतिक मूल्यों के प्रतिरक्षण, पारितंत्र के संतुलन तथा पर्यावरणीय संरक्षण में इनकी महत्वपूर्ण उपादेयता सर्वविदित है।

साथ ही स्वास्थ्य सम्बन्धी, मनोचिकित्सीय तथा सांस्कृतिक पहलुओं से भी वृक्षों का मूल्य अद्वितीय है।

ज्ञातव्य है कि प्रकृति सम्बन्धी संरक्षण विषयों में जैव विविधता के अवयव एवं इनसे जुड़े गुण आज के पर्यावरणीय परिवेश में अतिमहत्वपूर्ण हैं।

जैविक तंत्र में वृक्षों की विभिन्न प्रजातियाँ जैव विविधता को विविध रूप से पोषित और संरक्षित करती हैं। एक स्थापित वृक्ष या वृक्षों के समूह भी जैव विविधता के लघु अधिवास (micro habitats) होते हैं। इनमें जमीन के नीचे जड़ों के साथ मिट्टी में, वृक्ष के तने, शाखाओं तथा पत्तों के आच्छादन एवं इनके संलग्न वातावरण में जैव विविधता सम्पोषित और संवर्धित होती है। लम्बी आयु के वृक्षों में स्थानीय जैव-भौतिकीय परिस्थितियों के अनुरूप वानस्पतिक तथा जन्तुओं में सूक्ष्म तथा छोटे-बड़े जीवों की यथेष्ट विविधता रहती है।

भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा प्रकाशित **भारत राज्य वन रिपोर्ट (2021)** के अनुसार बिहार राज्य में वनाच्छादन 7.84 प्रतिशत भू-भाग में है, जबकि वनों के बाहर वृक्षाच्छादन का स्वरूप 5.19 प्रतिशत भू-भाग में उपलब्ध है। वनों के बाहर वृक्षाच्छादन को सतत रूप से यथा व्यावहारिक बढ़ाने का भी लक्ष्य है। इनके अलावे नदी तथा झील इत्यादि से सम्बद्ध जलीय एवं आद्रभूमि के क्षेत्र लगभग 7 प्रतिशत भू-भाग में अवस्थित हैं। दिसम्बर 2022 में मॉन्ट्रियल (कनाडा) में आयोजित **संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन** में वर्ष 2030 तक प्रत्येक स्वरूप के पारितंत्र वाले भू-भाग के कम से कम 30% अंश को जैव विविधता के संरक्षण, पुनर्स्थापन एवं संवर्धन के लिए समर्पित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बिहार राज्य की घनी आबादी तथा कृषि एवं अनुषांगी भूमि उपयोग वाले राज्य में जैव विविधता के हितों के सुसाध्यीकरण में जैव विविधता विरासत वृक्षों, जो बहुसंख्य एवं विस्तीर्ण रूप से उपलब्ध हैं, की महती भूमिका का संज्ञान वांछित है।

अतएव जैव विविधता के संरक्षण हेतु तथा इनसे जुड़े भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में लम्बी आयु एवं अन्य विशिष्ट गुणों से युक्त वृक्षों की पहचान कर उनके संरक्षण

हेतु विशेष उपाय करना वर्तमान पारिस्थितिकीय समझदारी के अनुसार एकाधिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनविर्य आवश्यकता है। जहाँ वृक्षारोपण तथा अवकृष्ट वनों का पुनर्स्थापन एवं पुनरुद्धार वांछित है, वहीं गैर-वन क्षेत्रों में पुराने, विशालकाय तथा विशिष्ट गुणों वाले पेड़ों-दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रकृति के प्रति संवेदना के साथ बचाये रखना भी उतना ही आवश्यक है। बिहार राज्य में अति घनी आबादी तथा आर्थिक प्रगति, औद्योगीकरण, शहरीकरण तथा अवसंरचना विस्तार की प्रक्रियाओं के कारण प्राकृतिक पारितंत्र पर स्वाभाविक प्रतिकूल प्रभावों के प्रतिकार के विविध उपायों में ऐसे वृक्षों, जो राज्य के गैर-वन क्षेत्र में विस्तीर्ण रूप से अवस्थित हैं, उनका सुनियोजित प्रतिरक्षण भी एक प्रभावकारी उपाय है।

2. इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर बिहार राज्य में “जैव विविधता विरासत वृक्षों की घोषणा कार्यक्रम” संचालित किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद की अनुशंसा पर विचार करते हुए जैव विविधता विरासत वृक्षों को चिन्हित कर घोषित करने की प्रक्रिया तथा ऐसे घोषित वृक्षों के संरक्षण इत्यादि के सम्बन्ध में निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(1) गैर-वन क्षेत्र में जैव विविधता विरासत वृक्षों को चिन्हित एवं घोषित किया जाना:-

बिहार राज्य में प्रादेशिक वन क्षेत्र से बाहर अवस्थित सभी प्रकार की भूमि (अधिसूचित वन सहित) पर अवस्थित वृक्षों से जैव विविधता विरासत वृक्षों के चयन के प्रावधान निम्नवत् होंगे:-

(क) जैव विविधता विरासत वृक्षों को स्थानीय स्वशासी निकायों (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम) के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय, सार्वजनिक/सामुदायिक या अभिरक्षा के अन्य भूमि में अथवा निजी भूमि में अवस्थित वृक्षों को उल्लिखित चयन के मानक के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है। निजी भूमि के मामले में इसके लिये सम्बन्धित स्वत्वधारी से सहमति लेना अपेक्षित होगा।

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत की जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा विरासत वृक्षों का चयन कर उन्हें जन जैव विविधता रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। तदोपरांत इसकी सूचना (प्रपत्र-५) के साथ जिले से सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायगी।

(ii) शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम के जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा विरासत वृक्षों का चयन कर उन्हें जन जैव विविधता रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। तदोपरांत इसकी सूचना प्रपत्र-५ के साथ सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायगी।

(ख) राजकीय विभागों/प्राधिकारों/संगठनों/संस्थानों/लोक उपक्रम के द्वारा अपने परिसर या अभिरक्षा की भूमि में अवस्थित वृक्षों को उल्लिखित चयन के मानक के आधार पर पहचान कर इसकी सूचना प्रपत्र-५ के साथ सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायगी।

(ग) प्राइवेट/गैर राजकीय संस्थान/संगठन/फर्म/कम्पनी इत्यादि द्वारा भी अपने परिसर या अभिरक्षा की भूमि में अवस्थित वृक्षों को उल्लिखित चयन के मानक के आधार पर

पहचान कर इसकी सूचना प्रपत्र-I के साथ सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जा सकती है।

- (घ) सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा (क)/(ख)/(ग) के अंतर्गत प्राप्त सूचना में पहचान/चयन किये गये वृक्षों के सम्बन्ध में भौतिक सत्यापन कर अपनी अनुशंसा के साथ इसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन (प्रपत्र-II) सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को उपलब्ध कराया जायगा।
- (च) सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से तथ्यों की संपुष्टि कर राज्य जैव विविधता पर्षद का अनुमोदन प्राप्त कर जैव विविधता विरासत वृक्षों को घोषित किया जायेगा।
- (छ) उपर्युक्त प्रक्रिया के अलावे बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा विशेष अभियान के तहत अथवा अन्य रूप से प्राप्त तथ्य विवरणी के आधार पर इस दिशा-निर्देश के मानक के अनुरूप वृक्षों को चिन्हित/चयनित कर उन्हें सम्बन्धित स्थल के प्रशासी प्राधिकार की सहमति से विरासत वृक्ष घोषित किया जा सकता है।

(2) जैव विविधता विरासत वृक्षों के पहचान एवं चयन के मानक तथा इनकी सूचना के सम्बन्ध में विवरणी का प्रपत्र -

चयन के मानक:-

- (i) वृक्ष की आयु- सामान्यतः 3 पीढ़ी अर्थात् 75 वर्ष से अधिक हो।
- (ii) वृक्ष, आयु अथवा आकृति में विलक्षण विशिष्टता से युक्त हो।
- (iii) वृक्ष, पौराणिक घटनाओं, ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अतिविशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक परम्पराओं (बतमक हतवअम सहित) एवं मान्यताओं से जुड़ा हो।
- (iv) वृक्ष, विलुप्त हो रही प्रजाति का हो या इनका प्रजनन नहीं हो रहा हो, अथवा भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित संकटापन्न प्रजातियों की सूची में सम्मिलित हो, अथवा वृक्ष प्रजाति प्रथम बार पहचानी गयी हो।
- (v) ऐसा वृक्ष जो किन्हीं संकटापन्न प्रजाति के पक्षी या जन्तु का अधिवास हो।
- (vi) ऐसा वृक्ष जो अपनी प्रजाति की तुलना में विशेष किस्म के रूप में विकसित किया गया हो अथवा जिसमें सामान्य गुणों की तुलना में विलक्षण गुण प्रदर्शित हो रहा हो।
- (vii) वृक्ष, किन्हीं वैज्ञानिक और शोध की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो।
- (viii) उपरोक्त मानकों में से कोई एक या अधिक मानक युक्त वृक्ष को विरासत वृक्ष के रूप में चयनित किया जा सकता है।

निर्धारित मानकों के आलोक में प्रत्येक प्रस्तावित वृक्ष के लिए निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में सूचनाओं का संकलन किया जायेगा।

(3) **घोषित जैव विविधता विरासत वृक्षों का नामकरण, पहचान संख्या तथा उनके संरक्षण इत्यादि की व्यवस्था –**

- (i) एक जिले में उपलब्धता के आधार पर बहुसंख्य विरासत वृक्ष घोषित किये जा सकते हैं। ऐसे जैव विविधता विरासत वृक्षों को **“(जिला का नाम) जिला (प्रजाति का नाम) विरासत वृक्ष** की संज्ञा प्रजातिवार दी जायगी (जैसे— रोहतास जिला बरगद विरासत वृक्ष)। इसी के साथ ऐसे घोषित वृक्षों के सुव्यवस्थित अभिलेख संधारण हेतु पहचान संख्या (Biodiversity Heritage Tree ID) दी जायेगी जिसका निर्धारण जैव विविधता पर्षद द्वारा युक्तिसंगत कोडिंग द्वारा की जायगी।
- (ii) इसका जन-प्रचार, स्थल पर सूचना पट्ट द्वारा वृक्ष की पहचान संख्या इत्यादि एवं वृक्ष की विशेषताओं के विवरण के साथ किया जाएगा। साथ ही जिले के विभिन्न उपयुक्त प्रकाशनों में यथा-कार्यक्रमों, योजनाओं के प्रतिवेदन इत्यादि, कॉफी टेबुल बुक, पर्यटन एवं अन्य विभिन्न लोक आयोजनों के ब्रॉशरों में उपयुक्त रूप से इनको सम्मिलित किया जा सकता है।
- (iii) जिले में घोषित विरासत वृक्षों की अभिरक्षा तथा उनका संरक्षण जिला पर्यावरण समिति के मार्ग दर्शन में वृक्षों के स्थल के प्रशासनिक विभाग/संगठन/ प्राधिकार/स्थानीय निकाय द्वारा किया जायगा। सार्वजनिक/सामुदायिक तथा स्थानीय निकायों की भूमि पर उपलब्ध घोषित विरासत वृक्षों की अभिरक्षा एवं उनके संरक्षण का कार्य **संबंधित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों** द्वारा किया जायगा।
- (iv) घोषित विरासत वृक्षों के रख-रखाव हेतु **मार्गदर्शन एवं व्यावहारिक अनुदेश** बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा स्थानीय वन प्रमण्डल पदाधिकारी (जो जिला पर्यावरण समिति के सदस्य सचिव होते हैं) के परामर्श तथा उनके माध्यम से अन्य हितधारक (जिसमें पंचायत के जैव विविधता प्रबन्धन समिति भी सम्मिलित हो सकते हैं) से परामर्श कर उपलब्ध कराया जायगा।
- (v) ऐसे मार्गदर्शन एवं अनुदेश अन्तर्गत संरक्षण के व्यावहारिक उपाय – वृक्ष के स्वास्थ्य तथा उनकी वृद्धि इत्यादि को कुप्रभावित किये बिना घेरान की संरचना इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी।
- (vi) रैयती भूमि पर अवस्थित घोषित विरासत वृक्षों एवं अन्य निजी संस्थान/निकाय/संगठन अधिकारिता के घोषित विरासत वृक्षों के स्वामी को प्रोत्साहन स्वरूप राजकीय प्रशंसा पत्र द्वारा सम्मानित किया जायगा। इनके संरक्षण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा तकनीकी सहायता भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- (vii) विभिन्न जिलों के लिए घोषित विरासत वृक्षों में से कतिपय अतिविषिष्ट लक्षणों से युक्त वृक्षों को **“राज्य विरासत महावृक्ष”** की उपाधि से घोषित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा पद्धति एवं प्रक्रिया का निर्धारण कालान्तर में किया जाएगा।

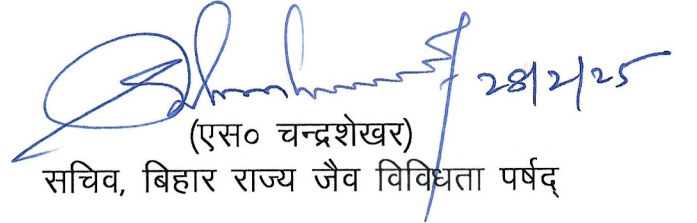
(viii) किसी सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम आदि के परिसरों में विषिष्ट लक्षणों तथा लम्बी आयु वाले वृक्षों की बहुतायत होने पर इस वृक्ष समूह को "जैव विविधता वृक्षावली" घोषित कर इन्हें जैव विविधता संरक्षण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(ix) विरासत वृक्षों के संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान -

(क) आमतौर पर घोषित जैव विविधता विरासत वृक्षों को काटा नहीं जाएगा जब तक यह प्राकृतिक रूप से सूख या गिर न जाय।

अपरिहार्य (यथा वृक्ष की स्थिति, दुर्घटना इत्यादि के दृष्टिकोण से खतरनाक हो गयी हो) परिस्थिति में या किसी अनिवार्य लोकहित के विकास कार्य हेतु वृक्ष के पातन की आवश्यकता पड़ने पर जिला पर्यावरण समिति निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी। वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में प्रयुक्त अन्य वैधानिक प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

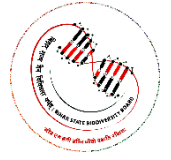
(ख) विकास कार्यों हेतु वृक्ष हटाने की आवश्यकता के निमित्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय आदेश सं० वन भूमि- 39/2012-974(ई०) दिनांक- 26.07.2019 द्वारा प्रख्यापित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्रवाई की जायगी।


(एस० चन्द्रशेखर)
सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद



बिहार राज्य जैव-विविधता पर्षद्

(जैव विविधता अधिनियम-2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय)



प्रपत्र-I

“जैव विविधता विरासत वृक्ष” को घोषणा हेतु वृक्ष सम्बन्धी सूचना

1. वृक्ष की प्रजाति, नाम इत्यादि :-

- (क) वृक्ष प्रजाति :
- (ख) वृक्ष प्रजाति का अन्य स्थानीय नाम :
- (ग) वृक्ष का स्थानीय प्रचलित (पुकारू) नाम, यदि कोई हो :

2. स्थल :

- (i) ग्राम/नगर : (ii) पंचायत/वार्ड :
- (iii) प्रखण्ड : (iv) जिला :
- (v) वृक्ष का जी०पी०एस० लोकेशन :
- (vi) स्थल भूखण्ड का प्रकार, स्वामित्व, इत्यादि :
- (vii) वृक्ष का आई०डी० (बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा निर्धारित पद्धति) :

3. वृक्ष की विशिष्टियाँ

1. आकार :-

- (क) तने की गोलाई (जड़ से छाती की ऊँचाई पर) : मी०
- (ख) वृक्ष की कुल ऊँचाई : मी०
- तने (Clear Bole) की ऊँचाई : मी०
- सबसे निचले शाखा से शीर्ष बिन्दु की ऊँचाई : मी०
- (ग) वृक्ष की आच्छादान (शाखाओं सहित) : वर्ग मी०
- (घ) अन्य विशेष उल्लेखनीय गुण :-

2. अनुमानित आयु : वर्ष से अधिक

4. सम्बद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धाराणाएँ/किंवदंति :-

5. वृक्ष का स्थानीय उपयोग :-

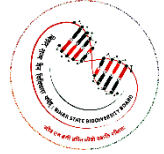
प्रस्तावक

अध्यक्ष/सचिव, जैव विविधता प्रबन्धन समिति/सरकारी संस्थान,
कम्पनी, लोक उपक्रम, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय या अन्य परिसर के
प्रभारी पदाधिकारी/प्राइवेट फर्म के परिसर के प्रभारी
प्रबन्धक/मालिक/रैयती भूखण्ड के स्वत्वधारी/भूस्वामी



बिहार राज्य जैव-विविधता पर्वद

(जैव विविधता अधिनियम-2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय)



प्रपत्र-II

वन प्रमण्डल पदाधिकारी का प्रतिवेदन

1. स्थलीय जाँच (वन प्रमण्डल पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्रतिनियुक्त अधीनस्थ वन पदाधिकारी द्वारा) की तिथि	:-	
2. वृक्ष के स्थल का जी.पी.एस.	:-	
3. प्रस्ताव में उल्लेखित तथ्यों के सत्यापन के सम्बन्ध में टिप्पणी	:-	
(क) वृक्ष की प्रजाति :- स्थानीय नाम :- वैज्ञानिक नाम :- (ख) वृक्ष की भौतिक माप (i) तने की गोलाई (जड़ से छाती की ऊँचाई पर) :- मी. (ii) वृक्ष की कुल ऊँचाई :- मी. (iii) वृक्ष के Clear Bole की ऊँचाई :- मी. (iv) वृक्ष का क्राउन की ऊँचाई :- मी. (v) वृक्ष के अच्छादन (Canopy) का विस्तार :- वर्ग.मी. (ग) वृक्ष की अनुमानित आयु :- वर्ष		
4. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इत्यादि सम्बन्धी विशेष संज्ञान के तथ्य	:-	
5. वृक्ष स्थल की विशिष्टियाँ		
(i) पथ तट, चौराहा/तिराहा, रेल तट, नहर तट, बाँध, तालाब तटबन्ध, अन्य सामुदायिक या लोक उपयोग का परिसर/स्थल	:-	
(ii) स्थल पर जल-जमाव, भूक्षरण, कटाव, इत्यादि परिस्थितियों का उल्लेख	:-	
(iii) सरकारी भूमि की स्थिति में स्थल पर अतिक्रमण अथवा दबाव इत्यादि की परिस्थिति	:-	
(iv) सड़क, रेल एवं अन्य भौतिक अवसंरचना के विकास/विस्तार या अन्य विकास परियोजना की निकट भविष्य में संभावना जिससे कि वृक्ष का स्थल तथा वृक्ष का बना रहना आशंकित हो के बारे में वस्तुस्थिति	:-	

6. प्रस्ताव के सम्बन्ध में अन्य कोई विशेष उल्लेखनीय तथ्य	:-	
7. वृक्ष के 3 या अधिक फोटो संलग्न की जाय जो कि वृक्ष की विशिष्टियों को प्रदर्शित कर सकें	:-	
8. (क) वन प्रमण्डल पदाधिकारी का प्रस्ताव से सहमति अथवा असहमति के सम्बन्ध में सुस्पष्ट अभिमत	:-	
(ख) प्रस्ताव से असहमति की स्थिति में कारणों को विनिर्दिष्ट की जाय	:-	
(ग) प्रस्ताव की अनुशंसा की स्थिति में वृक्ष के संरक्षण हेतु संक्षिप्त सुझाव	:-	

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
..... वन प्रमण्डल